न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 52/2008

1. श्री हनुमान सिंह पुत्र सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी चकवी, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बजरंग सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी चकवी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0

1. श्री शैलेन्द्र जैन, प्रार्थी।
2. श्री अजय पारीक, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 03.02.2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2004 को एकपक्षीय डिक्रि जारी की गई है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से स्वंय या अभिभाषक के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 को 17.04.2005 को हुई। सुनवाई की नियत तारीख को अप्रार्थी सं. 1 बाहर चले जाने के कारण उपस्थित नहीं हुआ व उनके अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में न्यायहित के कार्य में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पूर्व अभिभाषक से जानकारी की तो पूर्व अभिभाषक द्वारा प्रकरण विचाराधीन होना बताया एवं यह भी बताया कि जब न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तब पत्र द्वारा सूचित कर दिया जावेगा लेकिन पूर्व अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने के कारण अप्रार्थी सं. 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा 06.07.2004 को निर्णय सुनाया तथा वाद स्वीकार किया जाकर 13.07.2004 को डिक्रि बनाई गई। वादी/अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि बाहर चले जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में न्यायिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पूर्व अभिभाषक से प्रकरण के बारे में जानकारी की तो पूर्व अभिभाषक ने प्रकरण को विचाराधीन होना बताया एवं यह भी बताया कि जब न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तब पत्र द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। पूर्व अभिभाषक द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अतः

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

Scanned by CamScanner

एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है।

अप्रार्थी/प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता भी अनुपस्थित है। अतः एकपक्षीय बहस अप्रार्थी सं. 1 सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर विधिक मनन किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 06.07.2004 की जानकारी के अभाव में लगभग चार वर्ष पश्चात आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई के आदेश प्रदान करने का आदेश देने का निवेदन किया है। प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 1 ने आदेश 5 मियाद अधिनियम व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आदेश 5 मियाद अधिनियिम व्य0 प्र0 सं0 के प्रार्थना पत्र में ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अपोषणीय होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर निर्णित में गणना की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.03.17 11:22:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: